श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

विषय : दिनांक १९.०५.२०२६ को पूर्वाह्न ११.३० बजे आयोजित विद्या परिषद् की बारहवीं बैठक का कार्यवृत्त।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली की विद्या परिषद् की बारहवीं बैठक दिनांक 19.05.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

1.	प्रो. मुरलीमनोहर पाठक	अध्यक्ष	
2.	प्रो. जयप्रकाश नारायण द्विवेदी	बाह्य सदस्य	(ऑनलाईन)
3.	प्रो. दीप्ति त्रिपाठी	बाह्य सदस्या	(ऑनलाईन)
4.	प्रो. प्रयाग नारायण मिश्र	बाह्य सदस्य	(ऑनलाईन)
5.	प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य	
6.	प्रो. अनेकान्त कुमार जैन	सदस्य	
7.	प्रो. रचना वर्मा मोहन	सदस्या	
8.	प्रो. जगदेव कुमार शर्मा	सदस्य	
9.	प्रो. कल्पना जैन	सदस्या	
10.	प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल	सदस्य	
11.	प्रो. भागीरथि नन्द	सदस्य	
12.	प्रो. शुकदेव भोई	सदस्य	
13.	प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य	
14.	प्रो. वीर सागर जैन	सदस्य	
15.	प्रो. मारकण्डेनाथ तिवारी	सदस्य	
16.	प्रो. विनोद शर्मा	सदस्य	
17.	प्रो. मीनाक्षी मिश्र	सदस्य	
18.	प्रो. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र	सदस्य	
19.	प्रो. दिवाकर दत्त शर्मा	सदस्य	
20.	प्रो. सुधांशुभूषण पंडा	सदस्य	
21.	प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	सदस्य	
22.	प्रो. रामराज उपाध्याय	सदस्य	
23.	प्रो. राम चन्द्र शर्मा	सदस्य	
24.	प्रो. राम सलाही द्विवेदी	सदस्य	

25. प्रो. ए.एस. अरावमुदन सदस्य
26. प्रो. जवाहर लाल सदस्य
27. प्रो. सुमन कुमार झा सदस्य
28. प्रो. विष्णुपद महापात्र सदस्य
29. प्रो. के. अनन्ता सदस्य
30. प्रो. एस. सुदर्शन सदस्य
31. प्रो. आदेश कुमार सदस्य
32. प्रो. दयाल सिंह सदस्य
33. डॉ. मनोज कुमार मीणा सदस्य
34. डॉ. अभिषेक तिवारी सदस्य
35. डॉ. सविता राय सदस्य
36. प्रो. पवन कुमार शर्मा कुलसचिव एवं सचिव

प्रो. विरूपाक्ष जड्डीपाल एवं प्रो. हिमांशु राय किन्हीं कारणोंवश विद्यापरिषद् की बैठक में सम्मलित नहीं हो सके।

बैठक की कार्यवाही प्रो.शीतला प्रसाद शुक्ल, द्वारा मंगलाचरण से प्रारम्भ हुई। प्रो. मुरलीमनोहर पाठक, अध्यक्ष, विद्या परिषद् द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य विद्वानों एवं विश्वविद्यालय के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा विद्या परिषद् के सदस्यों को विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलसचिव प्रो. पवन कुमार शर्मा कुलसचिव के सम्बन्ध में भी अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् कुलपति महोदय की स्वीकृति से कुलसचिव महोदय द्वारा विद्या परिषद् की बारहवीं बैठक की कार्यसूची को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया।

संकल्प संख्या 12.1 **विद्या परिषद् की दिनांक 19.08.2025 को सम्पन्न हुई ग्यारहवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।**

विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 19.08.2025 को सम्पन्न हुई ग्यारहवीं बैठक में लिए गये निर्णयों/ कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

संकल्प संख्या 12.2 **विद्या परिषद् की दिनांक 19.08.2025 को सम्पन्न हुई ग्यारहवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन की पुष्टि।**

दिनांक 19.08.2025 को सम्पन्न हुई ग्यारहवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के विषय में प्रस्तुत कृत कार्यवाही की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिन विषयों पर कृत कार्यवाही किन्हीं कारणवश अभी तक अपेक्षित है, सम्बन्धित विभाग/समिति उन विषयों पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या 12.3 **केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट 2020 की धारा 17 (3) के अन्तर्गत निर्मित अध्यादेश संख्या १३ के अनुसार गठित स्कूल बोर्ड हेतु जारी सूचनाएं विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट 2020 की धारा 17(3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेश संख्या 13(स्कूल बोर्ड) में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के सम्बन्धित पीठों (दर्शनशास्त्र, वेदवेदांग, साहित्य एवं संस्कृति, शिक्षापीठ, आधुनिक विषय, पुराण विद्या) हेतु स्कूल बोर्ड की संरचना अनुसार गठित स्कूल बोर्ड की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। सम्बन्धित स्कूल बोर्ड अध्यादेश में प्रदत्त प्रावधानों का अनुपालन करेगें।

संकल्प संख्या 12.4 **केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अध्यादेशसंख्या 13 (School Board) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में शिक्षापीठ के पीठाध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई School Board की बैठक का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

विद्यापरिषद् द्वारा शिक्षापीठ के **School Board** की प्रथम बैठक दिनांक 17.02.2026 में लिए गये निर्णयों की पुष्टि की गई तथा इन निर्णयों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करने का निर्देश दिया गया।

संकल्प संख्या 12.5 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29 जनवरी 2026 के अनुपालन में Disaster Risk Reduction-DRR से संबंधित 02-क्रेडिट Skill Enhancement Course के स्नातक स्तर पर संचालन के संबंध में विद्यापरिषद् के अंगीकरण (Adoption) एवं अनुमोदनार्थ।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में **Disaster Risk Reduction-DRR** एवं प्रबंधन विषय पर 2-क्रेडिट का स्किल एन्हांसमेंट कोर्स हेतु मॉडल पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विद्यापरिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि सम्बन्धित पाठ्यक्रम विवरण को विश्वविद्यालय द्वारा गठित पाठ्यक्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समिति द्वारा पाठ्यक्रमविवरण को संज्ञान में लेते हुए **Disaster Risk Reduction-DRR** पाठ्यक्रम को सम्बन्धित श्रेणी के विषयों की सूची में सम्मिलित कर सी.सी.एफ.यू.पी. नियमानुसार इस पाठ्यक्रम विवरण को आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पंजीकृत होने वाले छात्रों पर लागू किया जाएगा।

संकल्प संख्या 12.6 **शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु छात्र परिषद् गठित करने हेतु समिति की बैठक का कार्यवृत्त तथा निर्वाचित छात्र परिषद् की सूची विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।**

शैक्षणिक नियम परिचायिका 2025-26 एवं अध्यायेदश संख्या 38 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के सभी छात्रों में दृढ़-संकल्प एवं निष्ठापूर्वक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक-विकास, नियमित एवं संगठित-जीवन तथा अधिकारी, कर्मचारी एवं अध्यापक-वर्ग के साथ समन्वयात्मक-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु छात्र परिषद् गठित करने हेतु गठित समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यवृत्त एवं छात्र परिषद् के गठन की विद्यापरिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या 12.7 **कार्यपरिषद् की 16वीं बैठक (दिनांक-20.02.2026) के कार्यवृत्त के मद संख्या 16.4.8 के अनुसार विश्वविद्यालय में ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग (ODL) तथा आनलाईन मोड के अंतर्गत शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन से संबंधित लिये गये निर्णय विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

कार्यपरिषद् की दिनांक-20.02.2026 को आयोजित 16वीं बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या 16.4.8 में लिए गए निर्णयों के अनुसार विद्यापरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग (ODL) तथा आनलाईन कार्यक्रम विनियम-2020 के अंतर्गत ODL तथा आनलाईन माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने की पात्रता एवं शर्तों को संज्ञान में रखते हुए विश्वविद्यालय में ODL तथा आनलाईन कार्यक्रमों के संचालन से संबंधित लिये गये निर्णयों पर क्रियान्वयन की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि ODL तथा ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने से सम्बन्धित विषयों पर नीतिनिर्धारित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अतिशीघ्र बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाए ताकि चरणबद्ध रूप से इस प्रक्रिया को लागू किया जा सके।

संकल्प संख्या 12.8 **समय समय पर आयोजित पीठ प्रमुखों की बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु पीठप्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय समय पर आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किये जा चुके है। इन बैठकों में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई तथा यह निर्णय भी लिया गया कि विभिन्न बैठकों में संस्तुत एवं अवशिष्ट शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित नीतिगत सुझावों का निर्धारित नियमानुसार क्रियान्वयन किया जाए।

दिनांक 27.02.2026 को आयोजित पीठाध्यक्षों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति को ऑनलाइन माध्यम से (ई-समर्थ) व्यवस्थित करने हेतु लिए गये निर्णयों की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छात्रों की उपस्थिति सम्बन्धित विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से तैयार की जाएगी। कार्य की महत्ता को संज्ञान में लेते हुए यह निर्णय भी लिया गया कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संगणक विभाग के माध्यम से सम्बन्धित अध्यापकों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

संकल्प संख्या 12.9 **छात्रावास परिचय एवं नियमावली 2026-27 विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत ।**

शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु छात्रावास परिचय एवं नियमावली तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या 12.10 **शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आधुनिक ज्ञान विभाग के अन्तर्गत एम.ए. पर्यावरण अध्ययन (Enviornmental Studies) पाठयक्रम संचालित करने के संबंध में की गई कार्यवाही एवं अध्ययन मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

आधुनिक ज्ञान विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एम.ए. पर्यावरण अध्ययन (Enviornmental Studies) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु

विद्यापरिषद् की आयोजित 11वीं बैठक (संकल्प संख्या - 11.27) में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

सम्बन्धित विभाग द्वारा पाठ्यक्रम रूपरेखा प्रवेश अर्हता, प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 17.09.2025 में लिए गए निर्णयों के कार्यवृत्त की विद्यापरिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या 12.11 **शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

विद्या परिषद् द्वारा केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी। परिषद् द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि सभी पीठाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं शोध-निर्देशक अपने-अपने विभाग में पंजीकृत शोधार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पी-एच.डी. विनियमों तथा विश्वविद्यालय के अधिनियम/ परिनियम/ अध्यादेशों में निहित प्रावधानों से समय-समय पर अवगत कराते रहें, ताकि शोधार्थी अपना शोध-कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण कर सकें।

विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिस शोध-विषय/शोध-शीर्षक को शोध मण्डल /Research Board द्वारा विधिवत् विचारोपरान्त स्वीकृत एवं अंतिम रूप प्रदान किया जा चुका है, उस शोध-विषय/शोध-शीर्षक में शोध संबंधित समीक्षा समिति/ Research Review Committee द्वारा प्रगति-समीक्षा के दौरान कोई संशोधन, परिवर्तन अथवा पुनर्निर्धारण नहीं किया जायेगा और न ही ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में शोध-विषय/शोध-शीर्षक में संशोधन अथवा परिवर्तन अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो ऐसा प्रस्ताव शोधार्थी, शोध-निर्देशक एवं संबंधित विभाग की विधिवत् संस्तुति सहित केवल शोध मण्डल/Research Board के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसने मूल शोध-विषय को स्वीकृत किया था। शोध मण्डल/Research Board की स्वीकृति के बिना शोध समीक्षा समिति द्वारा किसी भी स्वीकृत शोध-विषय में संशोधन अथवा परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन, दिनांक 06, 07, 08 एवं 11 मई, 2026 को आयोजित शोध मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में शोध समीक्षा के दौरान किसी भी विभाग में शोध मण्डल द्वारा स्वीकृत शोध-शीर्षक में संशोधन अथवा परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों पर शोध समीक्षा समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

संकल्प संख्या 12.12 **शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 28.03.2024 को प्रकाशित सूचना के अनुसार NTA द्वारा आयोजित UGC-NET परीक्षा में प्राप्त अंको की वरीयता के आधार पर तथा निर्धारित प्रक्रियानुसार विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश किया गया जिसकी विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

साथ ही यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विश्वविद्यालय द्वारा सभी विषयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन UGC द्वारा अनुमति उपरान्त किया जा सकता है। सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध स्थानों के अनुसार कुल 41 शोध छात्रों को पंजीकरण प्रदान किया गया है।

संकल्प संख्या 12.13 **विश्वविद्यालय तथा विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन/प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के संबंध में।**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 में निहित प्रावधानों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों तथा विश्वविद्यालय के संस्थागत विकास, बहुविषयक अकादमिक विस्तार, शोध-सहयोग, प्रशिक्षण, नवाचार एवं ज्ञान-विनिमय की दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित संस्थानों के साथ किये गये/प्रक्रियाधीन समझौता ज्ञापनों को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया—

1 वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा

2 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड

3 नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय — **प्रक्रियाधीन**

4 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ — **प्रक्रियाधीन**

विद्या परिषद् द्वारा उक्त विषय का अवलोकन किया गया। परिषद् को अवगत कराया गया कि क्रम संख्या 1 एवं 2 पर उल्लिखित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन संपादित किये जा चुके हैं, जबकि क्रम संख्या 3 एवं 4 पर उल्लिखित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रक्रियाधीन समझौता ज्ञापनों को आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/संबंधित निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

बैठक में एक माननीय सदस्य द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि उक्त समझौता ज्ञापन किस विभाग से संबंधित माना जायेगा। इस संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर संपादित समझौता ज्ञापन, जब तक उसमें अन्यथा स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो, किसी एक विभाग विशेष तक सीमित नहीं माना जायेगा। ऐसे समझौता ज्ञापन का क्षेत्राधिकार एवं उद्देश्य सम्पूर्ण विश्वविद्यालय से संबंधित होता है तथा उसका लाभ विश्वविद्यालय के सभी संबंधित पीठों, विभागों, केन्द्रों एवं शैक्षणिक/ अनुसंधान इकाइयों को विषयगत प्रासंगिकता एवं आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो सकता है।

विद्या परिषद् द्वारा यह भी संज्ञान में लिया गया कि MoU का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, संस्थागत विकास लक्ष्यों तथा आपसी शैक्षणिक एवं अनुसंधान हितों के अनुरूप शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नवाचार एवं ज्ञान-विनिमय के क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग हेतु एक रूपरेखा स्थापित करना है। अतः MoU को केवल इस आधार पर किसी एक विभाग तक सीमित नहीं माना जा सकता कि संबंधित गतिविधि किसी विभाग विशेष से आरम्भ हुई हो अथवा किसी विभाग के माध्यम से समन्वित की जा रही हो।

उपर्युक्त विचार-विमर्श के उपरान्त विद्या परिषद् द्वारा क्रम संख्या 1 एवं 2 पर उल्लिखित संपादित समझौता ज्ञापनों की पुष्टि की गयी तथा क्रम संख्या 3 एवं 4 पर उल्लिखित प्रक्रियाधीन समझौता ज्ञापनों के संबंध में आवश्यक औपचारिक कार्यवाही पूर्ण करने की अनुमति/संस्तुति प्रदान की गयी।

संकल्प संख्या 12.14 **आधुनिक ज्ञान विभाग के अन्तर्गत संगणक विज्ञान विषय में पीएच.डी पाठ्यक्रम के संचालन से संबंधित विषय पर की गई कार्यवाही विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आधुनिक ज्ञान विभाग के अन्तर्गत संगणक विज्ञान विषय में विद्यावारिधि (पीएच. डी) पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई।

विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि नये विषयों को संचालित करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा सत्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, प्रवेश अर्हता, प्रवेश हेतु

निर्धारित स्थान, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही तैयार किये जायेगें। इसे करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आयोति कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त निर्धारित प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

संकल्प संख्या 12.15 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेण्डर 2026-27 तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेण्डर 2026-27 तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी। यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के शैक्षणिक कैलेण्डर में यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो सम्बन्धित समिति की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट कुलपति महोदय को स्वीकृत हेतु प्रेषित की जाए।

संकल्प संख्या 12.16 **परीक्षा मण्डल की संस्तुति एवं कुलपति महोदय की स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सम्बन्धित छात्रों की परीक्षाएँ शास्त्री (4 वर्ष) एवं बी.ए. योग (प्रथम,तृतीय एवं पंचम वर्ष), आचार्य एवं एम.ए. (योग, हिन्दी, हिन्दू अध्ययन, अंग्रेजी, समाजशास्त्र,भातीय ज्ञान परंपरा), शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य (प्रथम एवं तृतीय सैमेस्टर) , अंशकालीन (प्रथम एवं तृतीय सैमेस्टर)एवं विद्यावारिधि सत्रीय पाठ्यक्रमों के नियमित एवं पुनः परीक्षा में बैठे हुए परीक्षार्थियों की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम की घोषणा, एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनुसार गुरुकुल आश्रम आमसेना, ओडिशा के शैक्षणिक सत्र 2025-26 जनवरी-2026 (नियमित) परीक्षा में आयोजित परीक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अधिसूचना समर्थ पोर्टल पर दिनांक 03.03. 2026 (अधिसूचना-01/2026) परीक्षा परिणाम विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।**

परीक्षा विभाग द्वारा सत्रीय एवं पुनः परीक्षाएं आयोजित की गयी। निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु परीक्षा मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या 12.17 **परीक्षा विभाग द्वारा समर्थ पोर्टल पर जारी की जाने वाली एकीकृत मार्कशीट (अंकतालिका) का प्रारूप विद्यापरिषद् में पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

परीक्षा विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार समर्थ पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली एकीकृत अंकतालिका के प्रारूप पर विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों को जारी की जाने वाली अंकतालिकाओं के प्रारूप की पुन: समीक्षा कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंकतालिका जारी करने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही तैयार किया जाए। उक्त कार्य एक विशेष समिति के माध्यम से सम्पन्न किया जाए। समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है। समिति द्वारा निर्धारित अंकतालिका नमूने के अनुपालन में परीक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।

संकल्प संख्या 12.18 **शोधोपाधि समिति द्वारा संस्तुत दिनांक 01.05.2025 से 31.03.2026 तक सम्पन्न विद्यावारिधि (पीएच.डी) के छात्रों के वाक् परीक्षा परिणाम की सूची, विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

शोध उपाधि समिति द्वारा संस्तुत दिनांक 01.05.2025 से 31.03.2026 तक सम्पन्न विद्यावारिधि (पीएच.डी.) के 68 छात्रों के वाक् परीक्षा परिणाम की सूची तथा शोध छात्रों को जारी अस्थायी प्रमाण-पत्र की सूची की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि शोध छात्रों को अपना शोध प्रबन्ध तैयार करते समय भाषा दक्षता तथा शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु निर्धारित सभी नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग में पंजीकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी ''साहित्यिक चोरी रोकथाम विनियम'' में प्रदत्त सभी नियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से भी अवगत करवाया जाए ताकि शोध छात्रों को अपना शोध प्रबन्ध तैयार करते समय किसी प्रकार की असुविधाा या भ्रम की स्थिति न हो।

संकल्प संख्या 12.19 **जैन दर्शन विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विभाग के अन्तर्गत आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एम.ए. जैन दर्शन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु प्रस्ताव एवं अध्ययन मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक

विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए दर्शन शास्त्र पीठ के जैन दर्शन विभाग के अन्तर्गत एम.ए. (जैन अध्ययन) पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई। इस पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन विभाग में कार्यरत अध्यापकों द्वारा ही सम्पन्न किया जाएगा।

विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि एम.ए. (जैन अध्ययन) विषय को संचालित करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा पाठ्यक्रम रूपरेखा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश (सीसीएफ पीपी 2024 के अनुरूप), प्रवेश अर्हत, प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जाए।

संकल्प संख्या 12.20 **पीठाध्यक्ष, पुराणविद्या पीठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से आधुनिक विषय के अन्तर्गत एम.ए.संगीत गायन पाठ्यक्रम संचालित करने तथा अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत एम.ए. संगीत गायन, पी.जी. डिप्लोमा संगीत गायन एवं पी.जी.डिप्लोमा कथक नृत्य के संशोधित पाठ्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में विचार-**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में, एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए, पुराणविद्या पीठ के अन्तर्गत **एम.ए. संगीत गायन** पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विद्या परिषद् द्वारा विचार किया गया।

विचार-विमर्श के दौरान यह बिन्दु संज्ञान में लाया गया कि उक्त पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय में संचालित अन्य समरूप/नियमित पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित नहीं हैं। इस संबंध में पीठाध्यक्ष, पुराणविद्या पीठ द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि विश्वविद्यालय में हिन्दू अध्ययन विभाग द्वारा संचालित **एम.ए.हिन्दू अध्ययन** एवं **एम.ए. भारतीय ज्ञान परम्परा/IKS** जैसे पाठ्यक्रम शासन की नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप संचालित किये जा रहे हैं तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय के लिए इन पाठ्यक्रमों हेतु पृथक् पदों की स्वीकृति मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं की गयी है। अतः इसी आधार पर **एम.ए. संगीत गायन** पाठ्यक्रम को भी स्ववित्तपोषित योजना के स्थान पर सामान्य/नियमित पद्धति से संचालित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। साथ

ही, भविष्य में आवश्यक पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव मंत्रालय को प्रेषित किया जा सकता है। इस पर सदस्य-सचिव/कुलसचिव द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जब तक मंत्रालय द्वारा **एम.ए.संगीत गायन** पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक शिक्षण/गैर-शिक्षण पदों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित किये जाने पर विचार किया जाना व्यावहारिक होगा।

उक्त विषय पर समुचित विचार-विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष, विद्या परिषद् द्वारा इस संबंध में एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति को अधिकृत किया गया कि वह पाठ्यक्रम के संचालन की शैक्षणिक आवश्यकता, वित्तीय व्यवहार्यता, उपलब्ध संसाधनों, अध्यापक व्यवस्था, शुल्क-संरचना, संभावित व्यय, छात्रहित तथा विश्वविद्यालय की समग्र नीति को ध्यान में रखते हुए यह परीक्षण करे कि **एम.ए. संगीत गायन** पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित किया जाना उचित होगा अथवा सामान्य/नियमित पद्धति से संचालित किया जाना उचित होगा। समिति द्वारा यदि यह संस्तुति की जाती है कि पाठ्यक्रम को **सामान्य/नियमित पद्धति से**, अर्थात् स्ववित्तपोषित योजना के बिना संचालित किया जाये, तो इसे हिन्दू अध्ययन एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली के चल रहे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के समान ही चलाया जा सकेगा। अथवा समिति द्वारा यदि यह संस्तुति की जाती है कि पाठ्यक्रम को **स्ववित्तपोषित योजना** के अन्तर्गत संचालित किया जाये, तो उसे उपलब्ध संसाधनों, शुल्क-संरचना एवं स्ववित्तीय व्यवस्था के आधार पर संचालित किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। विद्या परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा, प्रवेश-अर्हता, सीटों की संख्या, शुल्क, अध्यापन व्यवस्था, कक्षाओं की उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा CCFUP/CCFPP के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार कर सक्षम निकायों से परीक्षण/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

उपर्युक्त के अधीन, विद्या परिषद् द्वारा अध्यक्ष, विद्या परिषद् को अधिकृत किया गया कि समिति की संस्तुति एवं आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त उक्त पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में नियमानुसार आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे।

संकल्प संख्या 12.21 **ज्योतिष विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-2027 से संहिता ज्योतिष विषय में आचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में, एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए, वेदवेदांग पीठ के ज्योतिष विभाग के अन्तर्गत आचार्य — **ज्योतिष संहिता** पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विद्या परिषद् द्वारा विचार किया गया।

विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व पाठ्यक्रम की रूपरेखा, पाठ्यक्रम-संरचना, क्रेडिट व्यवस्था, प्रवेश-अर्हता, निर्धारित सीटें, शुल्क, उपलब्ध अध्यापक, कक्षों की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का

परीक्षण **सी.सी.एफ.यू.पी./सी.सी.एफ.पी.पी.** तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाये।

विद्या परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग द्वारा उक्त पाठ्यक्रम को अपने **अध्ययन मण्डल/Board of Studies** में नियमानुसार पुनः परीक्षण/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये। तत्पश्चात् पाठ्यक्रम-प्रारूप समिति, संबंधित पीठ/School Board तथा विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अन्य सक्षम निकायों से आवश्यक परीक्षण, संस्तुति एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

उपर्युक्त समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त, विद्या परिषद् द्वारा **अध्यक्ष, विद्या परिषद्** को यह अधिकृत किया गया कि वे प्राप्त संस्तुतियों एवं अनुमोदनों के आधार पर उक्त पाठ्यक्रम को नियमानुसार प्रारम्भ/लॉन्च करने की स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। तदनुसार संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन अध्यक्ष, विद्या परिषद्/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

संकल्प संख्या 12.22 **अध्ययन मण्डल (वेद, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष,पौरोहित्य) द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम विद्यापरिषद् कीपुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

1. विद्यापरिषद् द्वारा वेद,धर्मशास्त्र,वास्तुशास्त्र,ज्योतिष,पौरोहित्य द्वारा तैयार पाठ्यक्रम विवरण को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश (सीसीएफयूपी एवं सीसीएफपीपी) को संज्ञान में लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभाग अपने विभाग से सम्बन्धित विषयों/कक्षाओं का नवीन पाठ्यक्रम एवं संशोधन करते समय यूजीसी

नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करें। सम्बन्धित विभाग पाठ्यक्रम विवरण तैयार करते समय पाठ्यक्रम POS, COS and LOS का भी रूप स्पष्ट रूप से उल्लेख करे। अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित करते समय बैठक का कार्यवृत्त भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही तैयार करें। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा कि पूर्व में निर्धारित पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत संशोधन किया गया है।

कार्य की महत्ता को संज्ञान में लेते हुए विद्यापरिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रमों का यूजीसी नियमों के आलोक में पुन: अवलोकन कर अपेक्षित संशोधन एवं नवीनकरण कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा गठित पाठ्यक्रम प्रारूप समिति तथा आईक्यूएसी के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाए। पाठ्यक्रम प्रारूप समिति की अनुशंसा के आधार पर पाठ्यक्रम विवरण को पीठ प्रमुखों की बैठक में भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए। तदुपरान्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाए।

2. विद्यापरिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सूचना दिनांक 14.06.2024 के अनुसार स्तानोकत्तर पाठ्यक्रम एनईपी 2020 के अनुरूप तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय के सभी विभाग अपने-अपने विभाग के अध्ययन मण्डलों की बैठक आयोजित करवाकर विभाग से सम्बन्धित विषयों का नवीन पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम प्रारूप समिति द्वारा निर्धारित नमूने के अनुसार ही तैयार करें। ताकि स्नतकोत्तर का नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2027-28 में पंजीकृत होने वाले छात्रों पर लागू किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन करने हेतु आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए।

3. जिन विभागों द्वारा नवीन पाठ्यक्रम सीसीएफयूपी तथा सीसीएफपीपी के मापदण्डों के अनुरूप तैयार किया गया है उन्हें पुन: अध्ययनमण्डल आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

संकल्प संख्या 12.23 **वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से आधुनिक विषय के अर्न्तगत स्ववित्तपोषित योजना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम (Bachelor of Vocational) एवं (Master of Vocational)**

प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव विद्यापरिषद् के विचारार्थ सादर प्रस्तुत।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2027-28 से वास्तुशास्त्र विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित स्नातक एवं स्नातोकत्तर व्यवसायिक पाठ्यक्रम (स्ववित्तपोषित योजना) संचालित करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की विद्यापरिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

पाठ्यक्रम का नाम	**भारतीय वास्तुकला एवं आन्तरिक सज्जा पाठ्यक्रम**
कार्यक्रम का नाम	**भारतीय वास्तुकला एवं आंतरिक सज्जा में स्नातक (Bachelor of Vocation (B.Voc.) in Indian Architecture and Interior Design) तथा भारतीय वास्तुकला एवं आंतरिक सज्जा में स्नातकोत्तर (एकवर्षीय/द्विवर्षीय) (Master of Vocation (M.Voc.) in Indian Architecture and Interior Design)**

पीठाध्यक्ष वेदवेदांग द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों को अवगत करवाया गया कि यह पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण में यह पाठ्यक्रम विभाग द्वारा स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित किया जाएगा। पाठ्यक्रम प्रारभ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाए।

संकल्प संख्या 12.24 **केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय में** B.Lib.I.SC **पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में विद्यापरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।**

पुस्तकालाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉरमेशन साइंस (B.Lib.I.SC) पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षों की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

संकल्प संख्या 12.25 **शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नियमित एवं अशंकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक नियम परिचायिका विद्यापरिषद् में पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक-नियम-परिचायिका तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक-नियम-परिचायिका 2026-27 की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी तथा यह सुझाव भी दिया गया कि समस्त पीठप्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा शैक्षणिक नियम परिचायिका में प्रदत्त समस्त दिशा-निर्देशों को उसमें सन्निविष्ट करते हुए IQAC के निदेशक द्वारा अनुमोदन करने पर विद्यापरिषद् के अध्यक्ष से स्वीकृत कराया जाए।

संकल्प संख्या 12.26 **डी.लिट् उपाधि से सम्बन्धित दिशा निर्देश विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु।**

डी.लिट् उपाधि प्रदान करने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार प्रारूप दिनांक 18.05.2026 को आयोजित पीठाध्यक्षों की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। पीठाध्यक्षों की बैठक में लिये गये निर्णयों की विद्यापरिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विद्या परिषद् द्वारा उक्त दिशा–निर्देशों के प्रारूप में वांछित संशोधन करने हेतु सम्बन्धित समिति की पुनः बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही को स्वीकृत करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

संकल्प संख्या 12.27 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में एनईपी–सीसीएफयूपी के अंतर्गत स्नातक (शास्त्री/बी.ए.योग) के 5वें सेमेस्टर के लिए मॉडल इंटर्नशिप पाठ्यक्रम विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

विद्या परिषद् की स्वीकृति अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश सीसीएफयूपी के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र2023–24 से शास्त्री एवं बी.ए योग में पाठ्यक्रमों में लागू किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार पंचम सेमेस्टर में सम्बन्धित छात्रों द्वारा निर्धारित क्रेडिट का इन्टर्नशिप विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण करना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार सभी विभागों को अपने–अपने विभाग के विषयानुसार इन्टर्नशिप कार्यक्षेत्र को निर्धारित करना भी अनिवार्य है।

इन्टर्नशिप प्रक्रिया में वांछित नवीनीकरण एवं परिमार्जन करने हेतु शैक्षणिक विभाग द्वारा पुनः इन्टर्नशिप से सम्बन्धित विवरण तैयार किया गया है। नवीन इन्टर्नशिप विवरण को आगामी शैक्षणिक सत्र 2026–27 में पंजीकृत होने वाले छात्रों पर लागू किया जाना है।

प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी निदेशक आई.क्यू.ए.सी द्वारा इस विषय पर अपना सुझाव दिया गया कि सर्वप्रथम नवीन इन्टर्नशिप विवरण पाठ्यक्रम प्रारूप समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए। तदुपरान्त इसे लागू करने पर विचारा किया जा सकता है। विद्या परिषद् द्वारा एनएपी–2020 एवं यूजीसी द्वारा जारी निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक विभाग द्वारा तैयार नवीन इन्टर्नशिप विवरण पाठ्यक्रम प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पाठ्यक्रम प्रारूप समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को स्वीकृत करने हेतु अध्ययक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाता है।

संकल्प संख्या 12.28 **दिनांक 06, 07, 08 एवं 11 मई, 2026 को आयोजित शोध मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु शोध मण्डल की बैठक दिनांक 06, 07, 08 एवं 11 मई, 2026 को आयोजित की गई थी । शोध मण्डल के समक्ष सम्बन्धित विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया। शोध मण्डल द्वारा विद्यावारिधि उपाधि हेतु प्रदत्त नियमों के अनुपालन में शोधार्थियों के स्थायी पंजीकरण की अनुशंसा की गयी। विद्या परिषद् द्वारा शोध मण्डल की बैठक में पारित संस्तुतियों के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

संकल्प संख्या 12.29 **विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शास्त्री पाठ्यक्रमों में संकेताक्षर तथा संकेताङ्क (Coding) निर्धारित करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा तैयार विवरण विद्या परिषद् में पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

दिनांक 06.02.2019 को आयोजित विद्यापरिषद् की बैठक में संकल्प संख्या 11.14 में लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों को कोडिंग व्यवस्था के अनुसार सूचीबद्ध करने हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में चलाये जा रहे समस्त नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों दिये गये विषयों का पाठ्यक्रम सहित संकेताङ्क्षर तथा संकेताङ्क प्रणाली को लागू किया जा चुका है।

शैक्षणिक विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में निर्धारित कोडिंग प्रणाली में वांछित नवीनीकरण कर सम्बन्धित विषयों को ई-समर्थ पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इस विषय पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी निदेशक आईक्यूएसी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कोडिंग प्रणाली में नवीनीकरण हेतु कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन पूर्व में गठित समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। कार्य की महत्ता को संज्ञान में लेते हुए विद्यापरिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त विषय पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु एक समिति का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है।

संकल्प संख्या 12.30 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित दिशानिर्देश दिनांक २३.४.२०२५ के अनुसार यूजीसी (स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम शिक्षण मानक) विनियम, २०२५ को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु विद्यापरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।**

विश्वविद्याल अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एफ1-3/2021क्यूआईपी दिनांक 23.04.2025 के अनुसार यूजीसी (स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम शिक्षण मानक) विनियम, 2025, को विश्वविद्यालय में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विद्या परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के परिणाम स्वरूप स्नातक और स्नातोत्तर कार्यक्रमों में नवीनीकरण हेतु विनियम निर्धारित किये गये हैं। उक्त नियमों को विश्विद्यालय में लागू करने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि सम्बन्धित विनियम की प्रतिलिपि समस्त पीठ प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों को उपलब्ध करवायी जाए तथा उनका अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।

संकल्प संख्या 12.31 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत अन्य विषय

(1) **विश्वविद्यालय में "School of Yogic Sciences and Holistic Health Studies / योगविज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य अध्ययन पीठ" की स्थापना तथा उसके अन्तर्गत विभागों/केन्द्रों की संरचना के संबंध में।**

दिनांक 18.05.2026 को आयोजित पीठाध्यक्षों की बैठक में विश्वविद्यालय में एक नये पीठ **"School of Yogic Sciences and Holistic Health Studies / योगविज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य अध्ययन पीठ"** की स्थापना तथा उसके अन्तर्गत नये विभाग/केन्द्र स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया गया। उक्त बैठक में प्रारम्भिक विचार-विमर्श के उपरान्त यह मत व्यक्त किया गया था कि वर्तमान में दर्शनशास्त्र पीठ के अन्तर्गत संचालित **योगविज्ञान विभाग** को आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत **"Department of Naturopathy and Yogic Sciences / प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान विभाग"** के रूप में पुनर्नामित/पुनर्गठित किये जाने पर विचार किया जाये।

चूंकि विश्वविद्यालय में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार पीठाध्यक्षों की बैठक में लिये गये निर्णयों/संस्तुतियों को पुष्टि एवं विचारार्थ विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, अतः उक्त विषय को अध्यक्ष, विद्या परिषद् की अनुमति से विद्या परिषद् के समक्ष **टेबल आइटम** के रूप में प्रस्तुत किया गया।

विद्या परिषद् द्वारा विषय के व्यापक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पर केवल पीठाध्यक्षों की बैठक के निर्णय की पुष्टि तक सीमित न रहते हुए, व्यापक दृष्टिकोण से पुनः

विचार-विमर्श किया गया। परिषद् में उपस्थित बाह्य विशेषज्ञों एवं माननीय सदस्यों द्वारा भी इस विषय पर विस्तृत मत व्यक्त किये गये। विचार-विमर्श के दौरान यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की भावना, बहुविषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परम्परा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-संवर्धन, चेतना-अध्ययन तथा समाजोपयोगी विस्तार गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में योग एवं समग्र स्वास्थ्य अध्ययन के लिए पृथक् पीठ की स्थापना अधिक उपयुक्त होगी।

अतः विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में एक नया पीठ **"School of Yogic Sciences and Holistic Health Studies / योगविज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य अध्ययन पीठ"** स्थापित किया जाये।

विद्या परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में दर्शनशास्त्र पीठ के अन्तर्गत संचालित **योगविज्ञान विभाग** को नये स्थापित किये जाने वाले **School of Yogic Sciences and Holistic Health Studies / योगविज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य अध्ययन** पीठ के अन्तर्गत **"Department of Naturopathy and Yogic Sciences / प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान विभाग"** के रूप में परिवर्तित/पुनर्नामित किया जाये। इस प्रकार उक्त विभाग अब दर्शनशास्त्र पीठ के अन्तर्गत न रहकर नये पीठ के अन्तर्गत संचालित होगा।

विद्या परिषद् द्वारा यह भी संस्तुति की गयी कि नये पीठ के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं, संसाधनों एवं नियमानुसार निम्नलिखित विभाग/केन्द्र चरणबद्ध रूप से स्थापित/संचालित किये जा सकेंगे—

1. **Department of Naturopathy and Yogic Sciences / प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान विभाग**
2. **Centre for Yoga and Mental Health / Psychology**
3. **Centre for Yoga Texts and Sanskrit Traditions**
4. **Centre for Yogic Sciences, Wellness and Consciousness Studies**
5. **Centre for Continuing Education and Yoga Outreach**

विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त पीठ, विभागों एवं केन्द्रों की स्थापना/ पुना रचना से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव, नामकरण, प्रशासनिक संरचना, शैक्षणिक

कार्यक्षेत्र, पाठ्यक्रम, पदों की आवश्यकता, वित्तीय प्रावधान, संसाधन, अधिनियम/ परिनियम/ अध्यादेशों में आवश्यक संशोधन तथा अन्य संबंधित पहलुओं को नियमानुसार परीक्षण कर सक्षम निकायों के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। वर्तमान में आगामी सत्र

2026-27 से योग विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य अध्ययन पीठ के अन्तर्गत प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान विभाग के रूप में पुनर्नामित योग विज्ञान विभाग का ही संचालन किया जाए। अवस्थापना सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर अन्य केन्द्र प्रवर्तित नियमों के अधीन आरम्भ किए जा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो. पवन कुमार शर्मा)
सचिव एवं कुलसचिव

(प्रो. मुरलीमनोहर पाठक)
अध्यक्ष एवं कुलपति